तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सूरजमल सुथार बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी फलोदी) सू.अ.अ. अपील संख्या 251 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.21	अपीलार्थी सूरजमल सुथार, पता 504, सेक्टर 17 एक्सटेशन चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.09..20 में उसके द्वारा (1) सरकारी दस्तावेजों में दर्शाई गई जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के गांव लोर्डिया से कोटेचों की ढाणी को जोड़ने वाली सड़क की छाया प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत जरिये पत्रांक 681 दिनांक 08.09.20 उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	